दिनांक 22.09.2023
प्रेस विज्ञप्ति 25/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व समय–समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्विक्शन कार्य योजना के तहत उ0प्र0 पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा0 न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के क्रम में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा सुनाई गई है।

- **जनपद कौशाम्बी/थाना मंझनपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 15 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना मंझनपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/149/147 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सुरेन्द्रपाल 2–विरेन्द्रपाल 3–सचिन 4–दो अभियुक्ता को आजीवन कारावास व प्रत्येक 15 हजार 500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद जालौन/थाना कैलिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना कैलिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त वनमाली को आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हमीरपुर/थाना मौदहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना मौदहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सौंखीलाल को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद गाजीपुर/थाना सैदपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गाजीपुर द्वारा थाना सैदपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामबचन को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद महराजगंज/थाना घुघली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद महराजगंज पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महराजगंज द्वारा थाना घुघली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376(3) भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जितेन्द्र को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद महराजगंज/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद महराजगंज पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महराजगंज द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376ए,बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अंगद को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>जनपद आजमगढ़/थाना निजामाबाद/थाना रौनापार</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार बरामद**

दिनांक 21/22.09.2023 को थाना निजामाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोडवेज आजमगढ़ के पास से अभियुक्त 1–अलिशेर 2–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही से असनी पुलिया के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 3–शिवम 4–राम आशीष घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। दो अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये,

जिनकी गिरफ्तारी हेतु सूचना के आधार पर थाना रौनापार पुलिस टीम द्वारा परसियां मठियां के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 5–मु0फैसल को घायल/गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से अपहृत युवक व 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त 1–शिवम 2–राम आशीष 3–मु0फैसल थाना निजामाबाद पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 364ए भादवि में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना निजामाबाद/रौनापार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अलिशेर निवासी नसिरपुर थाना बिलरियागंज।

2–शिवम निवासी महुलाडाढी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

3–राम आशीष निवासी सिवान कुडवा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

4–मु0फैसल निवासी कजराकोल थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

5–अभियुक्ता।

<u>बरामदगी</u>

1–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार।

<u>जनपद सीतापुर/थाना सिधौली</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉक:21.09.2023 को थाना सिधौली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुजफ्फरनगर क्रासिंग मनवा तिराहा के पास मोटर साइकिल सवार

बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–रमेश 2–विनीत घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद सीतापुर से वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त रमेश के विरूद्ध जनपद सीतापुर, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर डकैती, हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग व अभियुक्त विनीत के विरूद्ध जनपद सीतापुर, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सिधौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रमेश निवासी ग्राम कठवारा थाना बख्शी का तालाब, लखनऊ।

2–विनीत निवासी ग्राम देवरा अहमदपुर खेड़ा थाना इटौंजा, लखनऊ।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 65 हजार रुपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 एक्सयूवी गाड़ी बरामद**

दिनांक 22.09.2023 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मामन चुंगी के पास से 03 अभियुक्तों 1– सतेन्द्र सहित दो अभियुक्ता को गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 65 हजार रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 एक्सयूवी गाड़ी बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सतेन्द्र निवासी ग्राम निठारी खैर थाना चोला जनपद बुलंदशहर।

2—दो अभियुक्ता।

बरामदगी

1—चोरी के 01 लाख 65 हजार रुपये नगद।

2—घटना में प्रयुक्त 01 एक्सयूवी गाड़ी।

जनपद बांदा/थाना गिरवां

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 40 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के भारी मात्रा में सोने—चाँदी के आभूषण**
- **01 मोबाइल फोन**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित 02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 22.09.2023 को थाना गिरवां व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानो से 07 अभियुक्तों 1— आमिर खान 2— अजमल खां

3–अखिलेश उर्फ बउवा 4–बिलाल खां 5–नन्द किशोर 6–दिनेश उर्फ देवा 7–अजहरूद्दीन उर्फ अज्जू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 40 हजार रूपये नगद, चोरी के भारी मात्रा में सोने–चाँदी के आभूषण, 01 मोबाइल फोन, चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित 02 मोटर साइकिल बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.09.2023 को थाना गिरवां क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गिरवां पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इरस सम्बन्ध में थाना गिरवां पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आमिर खान निवासी कबौली थाना नरैनी जनपद बांदा।

2–अजमल खां निवासी कबौली थाना नरैनी जनपद बांदा।

3–अखिलेश उर्फ बउवा निवासी भवई थाना नरैनी जनपद बांदा।

4–बिलाल खां निवासी गौर शिवपुर थाना नरैनी जनपद बांदा।

5–नन्द किशोर निवासी किदवई नगर थाना नरैनी जनपद बांदा।

6–दिनेश उर्फ देवा निवासी चन्दवारा थाना पैलानी जनपद बांदा।

7–अजहरूद्दीन उर्फ अज्जू निवासी कोर्रही थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

बरामदगी

1–चोरी के 40 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के भारी मात्रा में सोने–चाँदी के आभूषण।

3–01 मोबाइल फोन।

4–चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित 02 मोटर साइकिल।

जनपद अलीगढ़/थाना सासनीगेट

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **23 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **05 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **26 नाल विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 22.09.2023 को थाना सासनीगेट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर माया गार्डन साहिबाबाद के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्तों 1—लोकेश 2—योगेश उर्फ पप्पू 3—पवन 4—सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 23 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 05 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, 26 नाल विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सासनीगेट पर अभियोग पजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लोकेश निवासी साहिबाबाद भदेशी थाना सासनीगेट जनपद अलीगढ़।

2—योगेश उर्फ पप्पू निवासी पला भदेशी थाना सासनीगेट जनपद अलीगढ़।

3—पवन निवासी पला भदेशी थाना सासनीगेट जनपद अलीगढ़।

4—सुनील कुमार निवासी रामपुर थाना इगलास जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—23 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2—05 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3—26 नाल विभिन्न बोर।

4—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद चन्दौली/थाना नौगढ़

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **48 किलो 890 ग्राम अवैध गांजा**
- **नगद रूपये, 03 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो वाहन बरामद**

दिनांक 22.09.2023 को थाना नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कौवाघाड़ पुल के पास से 03 अभियुक्तों 1–सुरेन्द्र कुमार 2–लालचन्द्र 3–मो0अदनान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 48 किलो 890 ग्राम अवैध गांजा, नगद रूपये, 03 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना नौगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुरेन्द्र कुमार निवासी ज्योतिपुर समयसा थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

2–लालचन्द्र निवासी बढ़या थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

3–मो0अदनान निवासी मुगंराडिला मदराहा गांव थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी

1–48 किलो 890 ग्राम अवैध गांजा।

2–नगद रूपये, 03 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो वाहन।

- **कमिश्नरेट गाजियाबाद (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 60 करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस ने अभियुक्त महबूब अली पुत्र नूर मोहम्मद निवासी ग्राम पावी थाना ट्रोनिकासिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 60 करोड़ रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

———————